

अनुलग्नक-4 अनुलग्नक

स्टॉक ब्रोकरों, सब-ब्रोकरों तथा ग्राहकों के अधिकार एवं दायित्व SEBI एवं स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित

1. ग्राहक एक्सचेंजों/भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI) के नियमों, उप-नियमों और विनियमों एवं समय-समय पर जारी परिपत्रों/नोटिसों में दी गई परिभाषा के अनुसार एक्सचेंजों में/पर सौदा करने के लिए प्रस्तुत की गई उन प्रतिभूतियों/कांट्रैक्ट्स (अनुबंधों)/अन्य विलेखों (इंस्ट्रुमेंट्स) में निवेश/ट्रेड करेगा।
2. स्टॉक ब्रोकर, सब-ब्रोकर और ग्राहक समय समय पर प्रभावी हो सकने वाले एक्सचेंज द्वारा जारी सभी नियमों, उप-नियमों एवं विनियमों तथा उनके अंतर्गत जारी किए गए परिपत्रों/नोटिसों तथा SEBI के नियमों एवं विनियमों एवं सरकारी प्राधिकारियों की अधिसूचनाओं का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।
3. ग्राहक प्रतिभूतियों में सौदा करने और/या डेरिवेटिव कांट्रैक्ट्स में सौदा करने के लिए स्टॉक ब्रोकर की क्षमता से संतुष्ट होगा और स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से अपने आदेशों को निष्पादित करने की इच्छा रखता है, और ग्राहक समय-समय पर स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से आदेशों को निष्पादित करने से पहले उसकी क्षमता से स्वयं को संतुष्ट करता रहेगा।
4. स्टॉक ब्रोकर लगातार ग्राहक की वास्तविकता एवं वित्तीय मजबूती एवं दी जाने वाली सेवाओं के अनुसार निवेश उद्देश्यों के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेगा।
5. स्टॉक ब्रोकर ग्राहक को स्टॉक ब्रोकर की कार्य सीमा, देयता या क्षमता सहित किए जाने वाले व्यवसाय के लिए स्टॉक ब्रोकर की देयता की निर्धारित प्रकृति के बारे में जानकारी देने के लिए कदम उठाएगा।
6. सब-ब्रोकर ग्राहक के साथ सभी सौदों में स्टॉक ब्रोकर को आवश्यक सहायता एवं सहयोग प्रदान करेगा।

ग्राहक के बारे में जानकारी

7. ग्राहक वे सभी विवरण समय-समय पर स्टॉक एक्सचेंजों/SEBI द्वारा अनिवार्य समर्थक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करेगा जो स्टॉक ब्रोकर के लिए "खाता खोलने के फॉर्म" में दिया जाना आवश्यक है।
8. ग्राहक, खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में सभी अनिवार्य प्रावधानों के बारे में जानेगा। ग्राहक द्वारा स्वीकृत नियम एवं शर्तों के अनुसार स्टॉक ब्रोकर द्वारा निर्दिष्ट कोई भी अतिरिक्त उपबंध या दस्तावेज गैर-जरूरी होगा।
9. ग्राहक समाप्ति आवेदन/ऋणशोधन आवेदन या किसी भी अभियोग सहित - जिसका उसकी क्षमता पर कोई भी प्रभाव हो सकता है- खाता खोलने के समय या उसके बाद 'खाता खोलने के फॉर्म' में दी गई जानकारी में कोई भी परिवर्तन होने पर तुरंत ही स्टॉक ब्रोकर को लिखित में सूचित करेगा। ग्राहक आवधिक आधार पर स्टॉक ब्रोकर को वित्तीय जानकारी प्रदान करेगा/अद्यतित करेगा।
10. स्टॉक ब्रोकर एवं सब-ब्रोकर खाता खोलने के फॉर्म में दिए गए सभी विवरणों या ग्राहक से संबंधित अन्य सभी जानकारी को गुप्त रखेंगे और वे किसी विशेष कानूनी/विनियामक आवश्यकताओं के अंतर्गत आवश्यक होने के अलावा किसी व्यक्ति/प्राधिकारी के समक्ष इसका खुलासा नहीं करेंगे। बशर्ते हालांकि स्टॉक ब्रोकर ग्राहक की सहमति से उसकी जानकारी को किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

मार्जिन

11. ग्राहक लागू प्रारंभिक मार्जिन, काटी हुई मार्जिन, विशेष मार्जिन या ऐसे अन्य सभी मार्जिनों का भुगतान करेगा जिन्हें स्टॉक ब्रोकर या एक्सचेंज द्वारा आवश्यक माना जाता है या जैसा समय समय पर ग्राहक द्वारा ट्रेड किए जाने वाले सेगमेंटों पर लागू SEBI के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक माना जाता है। स्टॉक ब्रोकर को अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक में अतिरिक्त मार्जिन एकत्र करने की अनुमति है (भले ही एक्सचेंज, समाशोधन गृह (क्लियरिंग हाउस)/समाशोधन निगम (क्लियरिंग कॉर्पोरेशन) या SEBI द्वारा आवश्यक न हो) और ग्राहक निर्धारित समय के भीतर ऐसे मार्जिनों का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।

12. ग्राहक समझता है कि ग्राहक द्वारा मार्जिन का भुगतान आवश्यक रूप से सभी बकायों की पूर्ति नहीं करता है। लगातार मार्जिनों का भुगतान करने के बावजूद भी ग्राहक, अपने ट्रेड के निपटान पर, अनुबंध के अनुसार निर्दिष्ट/आवश्यक उन सभी राशियों का भुगतान करने के लिए बाध्य (या प्राप्त करने का हकदार) है।

लेनदेन एवं निपटान

13. ग्राहक प्रतिभूति/डेरिवेटिव कंट्रैक्ट की खरीद या बिक्री के लिए कोई भी आदेश लिखित में या उस अन्य रूप या तरीके से देगा जिस पर ग्राहक एवं स्टॉक ब्रोकर परस्पर सहमत हों। स्टॉक ब्रोकर केवल उस ग्राहक को आवंटित अद्वितीय ग्राहक कोड में आदेश देना और ट्रेडों को निष्पादित करना सुनिश्चित करेगा।
14. स्टॉक ब्रोकर ग्राहक को ट्रेडिंग/निपटान चक्र, डिलीवरी/भुगतान अनुसूची, उसमें समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों के बारे में सूचित करेगा और उसे इसके बारे में अवगत कराता रहेगा, और उस प्रासंगिक स्टॉक एक्सचेंज की ऐसी अनुसूचियों/प्रक्रियाओं का पालना करना ग्राहक की जिम्मेदारी होगी जहां ट्रेड निष्पादित किया गया है।
15. स्टॉक ब्रोकर यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक द्वारा जमा किए गए धन/प्रतिभूतियों को अलग खाते में रखा जाएगा जो उसके अपने खाते या किसी अन्य ग्राहक के खाते से अलग हो और इसे स्टॉक ब्रोकर द्वारा स्वयं के लिए या किसी अन्य ग्राहक के लिए या SEBI के नियमों, विनियमों, परिपत्रों, नोटिसों, दिशानिर्देशों और/या एक्सचेंज के नियमों, उप-नियमों, परिपत्रों एवं नोटिसों में उल्लिखित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।
16. जहां एक्सचेंज अपनी ओर से ट्रेड (ट्रेडों) को रद्द करता है तो ग्राहक की ओर से किए गए ट्रेड/ट्रेडों सहित ऐसे सभी ट्रेड स्वतः ही रद्द को जाएंगे, स्टॉक ब्रोकर ग्राहक(कों) के साथ संबंधित कांट्रैक्ट (कांट्रैक्ट्स) को रद्द करने का हकदार होगा।
17. एक्सचेंज पर निष्पादित किए गए लेनदेन नियमों, उप-नियमों एवं विनियमों तथा उन एक्सचेंजों द्वारा जारी परिपत्रों/नोटिसों के विषयाधीन हैं जहां ट्रेड निष्पादित किया गया है और ऐसे ट्रेड के सभी पक्षों को उन एक्सचेंजों के उप-नियमों एवं विनियमों द्वारा निर्दिष्ट ऐसे न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में प्रस्तुत करना होगा जहां ट्रेड को एक्सचेंजों के नियमों, उप-नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों और उसके अंतर्गत जारी परिपत्रों/नोटिसों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निष्पादित किया जाता है।

ब्रोकरेज (दलाली)

18. ग्राहक को स्टॉक ब्रोकर के लिए ब्रोकरेज एवं सांविधिक लेवी का भुगतान करना होगा जो समय समय पर प्रचलित होते हैं और जो ग्राहक के खाते, लेनदेनों एवं उन सेवाओं के लिए लागू होते हैं जिन्हें स्टॉक ब्रोकर ग्राहक को प्रदान करता है। स्टॉक ब्रोकर संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के नियमों, विनियमों एवं उप-नियमों और/या SEBI के नियमों एवं विनियमों के अनुसार मान्य अधिकतम ब्रोकरेज से अधिक ब्रोकरेज प्रभारित नहीं करेगा।

स्थिति का परिसमापन एवं बंद करना (पॉजिशन का लिक्विडेशन और क्लोज़-आउट)

19. स्टॉक ब्रोकर के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना (किसी भी मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने के अधिकार सहित), ग्राहक समझता है कि स्टॉक ब्रोकर मार्जिन या अन्य राशियों, बकाया ऋण आदि का भुगतान न करने पर ग्राहक की स्थितियों में से एक या सभी का परिसमापन/बंद करने के लिए हकदार होगा और ग्राहक की देनदारियों/बाध्यताओं के एवज में, ऐसे परिसमापन/समाप्ति से प्राप्त आय को समायोजित करने का हकदार होगा। इस तरह के परिसमापन/समाप्ति के कारण होने वाली कोई एक और सभी हानियां एवं वित्तीय प्रभार ग्राहक द्वारा वहन किए जाएंगे।
20. ग्राहक की मृत्यु या दिवालिया होने की स्थिति में या ग्राहक द्वारा उन प्रतिभूतियों को प्राप्त करने या उनके लिए भुगतान करने या उन्हें सुपुर्द करने या स्थानांतरित करने में असमर्थ होने की घटना में जिसे उसने खरीदने या बेचने के लिए आदेश दिया है, स्टॉक ब्रोकर ग्राहक की संपत्ति के खिलाफ ग्राहक के लेनदेनों को बंद कर सकता है और हानियों का दावा कर सकता है, यदि कोई हो। ग्राहक या उसके नामिती, वारिस, उत्तराधिकारी एवं समनुदेशिती (असाइनी) उसके परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी अधिशेष (लाभ) को प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे। ग्राहक को ध्यान देना चाहिए कि एक नामिती के पक्ष में निधियों/प्रतिभूतियों का अंतरण कानूनी वारिस के खिलाफ स्टॉक ब्रोकर द्वारा मान्य तरीके से चुकाया जाएगा।
21. स्टॉक ब्रोकर एक ग्राहक द्वारा भुगतान/वितरण में चूक एवं संबंधित पहलुओं के बारे में जानकारी को संबंधित एक्सचेंज के संज्ञान में लाएगा। यदि दोषी ग्राहक एक निगमित इकाई/साझेदारी/स्वामित्व फर्म या कोई अन्य कृत्रिम कानूनी इकाई है तो

मामले के अनुसार निदेशक(कों)/प्रोमोटर(रों)/स्वामी के नाम(मों) के बारे में भी स्टॉक ब्रोकर द्वारा संबंधित एक्सचेंज(जों) को सूचित किया जाएगा।

विवाद निपटान

22. स्टॉक ब्रोकर संबंधित एक्सचेंजों एवं SEBI के प्रासंगिक संपर्क विवरण ग्राहक को प्रदान करेगा।
23. स्टॉक ब्रोकर अपने माध्यम से किए जाने वाले सभी लेनदेनों के संबंध में और शेयरों के खराब वितरण, खराब वितरण के परिशोधन आदि के लिए आपत्तियों को हटाने के संबंध में ग्राहक की शिकायतों का निवारण करने में सहयोग करेगा।
24. ग्राहक एवं स्टॉक ब्रोकर जमा, मार्जिन धनराशि आदि के संदर्भ में किसी भी दावे और या विवादों को उन एक्सचेंजों के समय समय पर प्रभावी हो सकने वाले नियमों, उप-नियमों एवं विनियमों और उसके अंतर्गत जारी परिपत्रों/नोटिसों के अनुसार मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करेंगे जहां ट्रेड को निष्पादित किया गया है।
25. स्टॉक ब्रोकर अपने और ग्राहक के बीच होने वाले लेनदेनों से उत्पन्न होने वाली किसी भी मध्यस्थता की कार्यवाही का त्वरित निपटान सुनिश्चित करेगा और वह इस तरह की कार्यवाही में दिए जाने वाले मध्यस्थता अधिनिर्णयों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होगा।
26. ग्राहक/स्टॉक ब्रोकर समझता है कि विवाद समाधान के लिए ग्राहक/स्टॉक-ब्रोकर के एक अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जारी निर्देश, यदि कोई हो, कथित प्रतिनिधि को कथित ग्राहक/स्टॉक ब्रोकर की ओर से सौदा करने के लिए अधिकृत करते हुए पत्र के अनुसार ग्राहक/स्टॉक ब्रोकर पर लागू होंगे।

संबंध की समाप्ति

27. स्टॉक ब्रोकर और ग्राहक के बीच यह संबंध समाप्त हो जाएगा; यदि स्टॉक ब्रोकर के डिफॉल्ट, मृत्यु, इस्तीफे या निष्कासन के कारण सदस्यता की समाप्ति सहित किसी भी कारण से स्टॉक ब्रोकर शेयर बाजार का सदस्य नहीं रहता है या प्रमाण पत्र बोर्ड द्वारा रद्द कर दिया जाता है।
28. स्टॉक ब्रोकर, सब-ब्रोकर एवं ग्राहक अन्य पक्षों को कम से कम एक महीने पूर्व लिखित सूचना देने के बाद, दूसरे पक्ष को कोई कारण बताए बिना उन दोनों के बीच संबंध समाप्त करने के हकदार होंगे। किसी भी तरह की समाप्ति के बावजूद, इस संबंध की समाप्ति से पूर्व किए गए लेनदेनों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले या उनसे संबंधित सभी अधिकारों, देयताओं और दायित्वों/बाध्यताओं का निर्वाह किया जाना जारी रहेगा, जो मामले के अनुसार, संबंधित पक्षों और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों, वारिसों, प्रशासकों, कानूनी प्रतिनिधियों या उत्तराधिकारियों पर लागू होगा।
29. सब ब्रोकर के निधन/दिवालिया होने, या बोर्ड के साथ उसका पंजीकरण रद्द होने या/स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सब-ब्रोकर की मान्यता छिनने और/या स्टॉक ब्रोकर द्वारा सब-ब्रोकर के साथ अनुबंध की समाप्ति की घटना में, किसी भी कारण के लिए ग्राहक को ऐसी समाप्ति के बारे में सूचित करना होगा और ग्राहक को स्टॉक ब्रोकर का प्रत्यक्ष ग्राहक होना चाहिए और स्टॉक ब्रोकर, सब-ब्रोकर एवं ग्राहक को शासित करने वाले 'अधिकार एवं दायित्व' दस्तावेज(जों) में सभी उपबंध समान रूप से लागू होंगे, जब तक ग्राहक एक महीने से अधिक के लिए लिखित में एक नोटिस देकर उनके संबंध को समाप्त करने के अपने इरादे के बारे में स्टॉक ब्रोकर को सूचित नहीं करता है।

अतिरिक्त अधिकार एवं दायित्व

30. स्टॉक ब्रोकर अपने माध्यम से किए जाने वाले लेनदेनों के संबंध में लाभांशों, अधिकारों या बोनस शेयरों आदि के लिए ग्राहक के अधिकारों के संबंध में ग्राहक के लिए आवश्यक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे उसके साथ ग्राहक के हितों को नुकसान पहुंचने की संभावना है और जिसके लिए उन्होंने प्रतिभूतियों में लेनदेन किया हो सकता है।
31. स्टॉक ब्रोकर और ग्राहक समय समय पर SEBI एवं उन प्रासंगिक एक्सचेंजों द्वारा जारी नियमों, विनियमों, उप-नियमों, परिपत्रों, नोटिसों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार अपने खतों का मिलान करेंगे और निपटान करेंगे जहां ट्रेड निष्पादित किया गया है।

32. स्टॉक ब्रोकर अपने घटकों के लिए आदेश संख्या, ट्रेड संख्या, ट्रेड समय, ट्रेड मूल्य, ट्रेड मात्रा, डेरिवेटिव कंट्रैक्ट के विवरण, ग्राहक कोड, ब्रोकरेज, सभी लागू प्रभार आदि एवं इस तरह से तथा एक्सचेंज द्वारा निर्धारित ऐसे समय पर एवं उसमें भरने के लिए आवश्यक अन्य सभी आवश्यक विवरणों के साथ सभी लेनेदेनों के रिकार्डों सहित समय समय पर एक्सचेंज द्वारा निर्धारित ऐसे प्रारूप में निष्पादित ट्रेडों के लिए कंट्रैक्ट नोट जारी करेगा। स्टॉक ब्रोकर मुद्रित प्रति में और/या डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग कर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में ट्रेडों के निष्पादन से एक कार्य दिवस के भीतर निवेशकों को कंट्रैक्ट नोट भेजेगा।
33. स्टॉक ब्रोकर को मामले के अनुसार, उस प्रासंगिक एक्सचेंज से प्राप्त भुगतान की प्राप्ति से एक कार्य दिवस के भीतर ग्राहक को निधियों या प्रतिभूतियों की डिलीवरी के लिए भुगतान करना होगा जहां ट्रेड निष्पादित किया जाता है जब तक कि या तो ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट न किया गया हो और उस एक्सचेंज द्वारा समय समय पर निर्धारित नियमों एवं शर्तों के विषयाधीन न हो।
34. स्टॉक ब्रोकर समय-समय पर उस एक्सचेंज द्वारा निर्धारित समय के भीतर ऐसी अवधि और प्रारूप में अपने ग्राहकों में से प्रत्येक के संबंध में निधियों और प्रतिभूतियों दोनों के लिए 'खाता विवरण' भेजेगा जहां ट्रेड निष्पादित किया जाता है। विवरण यह भी बताएगा कि ग्राहक, स्टॉक ब्रोकर से विवरण की प्राप्ति से समय समय पर, उस एक्सचेंज द्वारा निर्धारित समय के भीतर गलतियों, यदि कोई हो, की सूचना देगा जहां ट्रेड निष्पादित किया गया था।
35. स्टॉक ब्रोकर ग्राहकों के लिए दैनिक मार्जिन विवरण भेजेगा। दैनिक मार्जिन विवरण में नकदी, सावधि जमा रसीद (FDR), बैंक गारंटी एवं प्रतिभूतियों से संबंध में ब्रेक-अप के साथ अन्य बातों के साथ संपार्श्विक (कोलेटरल) जमा, प्रयुक्त संपार्श्विक एवं संपार्श्विक स्थिति (ग्राहक से प्राप्त बैलेंस/बकाया) का विवरण शामिल होना चाहिए।
36. ग्राहक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास स्टॉक ब्रोकर के साथ संबंध में प्रवेश करने के लिए अपेक्षित कानूनी क्षमता है और वह ऐसा करने के लिए अधिकृत है, और वह इसके अंतर्गत अपने दायित्वों और कार्यों का प्रदर्शन करने में सक्षम है। सभी लेनदेनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले सभी आवश्यक कार्य जिनमें ग्राहक प्रवेश कर सकते हैं, इस तरह के लेनदेन में प्रवेश करने से पहले ग्राहक द्वारा पूर्ण किए जाएंगे।

इलेक्ट्रॉनिक कंट्रैक्ट नोट (ECN)

37. यदि ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में कंट्रैक्ट नोट प्राप्त करना चयन करता है तो उसे स्टॉक ब्रोकर को एक उपयुक्त ईमेल आईडी उपलब्ध करानी होगी। ग्राहक को ईमेल आईडी में किसी भी परिवर्तन से एक भौतिक पत्र के माध्यम से स्टॉक ब्रोकर को सूचित करना होगा। यदि ग्राहक ने इंटरनेट ट्रेडिंग का चयन किया है तो ईमेल आईडी के परिवर्तन के लिए अनुरोध ग्राहक विशिष्ट उपयोगकर्ता आईडी एवं पासवर्ड के तरीके से सुरक्षित पहुंच के माध्यम से किया जा सकता है।
38. स्टॉक ब्रोकर यह सुनिश्चित करेगा कि ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले सभी ECN डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित, एन्क्रिप्टेड, छेड़छाड़ किए जाने से अक्षम एवं IT अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुपालन में होंगे। यदि ECN को एक अनुलग्नक के रूप में ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है तो संलग्न फाइल भी डिजिटल हस्ताक्षर के साथ एन्क्रिप्टेड एवं छेड़छाड़ किए जाने से अक्षम रूप में सुरक्षित की जाएगी।
39. ग्राहक को ध्यान देना चाहिए कि स्टॉक ब्रोकर द्वारा बाउंस मेल सूचना प्राप्त न होने पर ग्राहक की ईमेल आईडी पर कंट्रैक्ट नोट की सुपुर्दगी सुनिश्चित होगी।
40. स्टॉक ब्रोकर IT अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुपालन में एवं समय समय पर SEBI/स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित मौजूदा नियमों/विनियमों/परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुसार एक्सचेंज द्वारा निर्धारित तरीके से सॉफ्ट एवं टेंपर किए जाने से अक्षम प्रारूप में ECN और ईमेल की पावती अपने पास रखेगा। सुपुर्दगी का साक्ष्य यानी कंट्रैक्ट नोट भेजने के समय सिस्टम द्वारा जनरेटेड लॉग रिपोर्ट, SEBI/स्टॉक एक्सचेंजों के मौजूदा विनियमों के तहत निर्दिष्ट अवधि के लिए स्टॉक ब्रोकर द्वारा रखी जाएगी। लॉग रिपोर्ट उन कंट्रैक्ट नोट्स के विवरण प्रदान करेगी जो ग्राहक को प्राप्त नहीं हुए हैं/ईमेल अस्वीकृत हुई है या वापस आ गई है। स्टॉक ब्रोकर हर बार SEBI/स्टॉक एक्सचेंजों के मौजूदा विनियमों के तहत निर्धारित समयावधि के भीतर उसके द्वारा बाउंस होने वाली ईमेलों की सूचना की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाएगा।

41. स्टॉक ब्रोकर ऐसे ग्राहकों के लिए भौतिक तरीके से कंट्रैक्ट नोट भेजना जारी रखेगा जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में कंट्रैक्ट नोट प्राप्त करना नहीं चुना है। जहां ECN ग्राहक तक नहीं पहुंचता है या ग्राहक की ईमेल आईडी से (ईमेल वाउंस) अस्वीकृत हो जाता है वहां स्टॉक ब्रोकर SEBI/स्टॉक एक्सचेंजों के मौजूदा विनियमों के तहत निर्धारित समय के भीतर ग्राहक को एक भौतिक कंट्रैक्ट नोट भेजेगा और इस तरह के भौतिक कंट्रैक्ट नोट्स की सुपुर्दगी का साक्ष्य बनाए रखेगा।
42. ग्राहक को ECN के ईमेल संचार के अतिरिक्त, स्टॉक ब्रोकर सुरक्षित तरीके से अपनी निर्दिष्ट वेबसाइट पर, यदि कोई हो, समान समय में ECN प्रकाशित करेगा और ग्राहकों को उस पर उपयुक्त पहुंच के लिए सक्षम करेगा और इस उद्देश्य के लिए वह ग्राहक को अनुबंध नोट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सहेजने और प्रिंट आउट लेने के विकल्प के साथ एक अद्वितीय उपयोगकर्ता नाम एवं पासवर्ड उपलब्ध कराएगा।

कानून एवं न्यायिक क्षेत्र

43. इस दस्तावेज में वर्णित विशेषाधिकारों के अलावा, स्टॉक ब्रोकर, सब-ब्रोकर एवं ग्राहक किसी भी अन्य अधिकार का प्रयोग करने के लिए हकदार होंगे जो स्टॉक ब्रोकर या ग्राहक को उन एक्सचेंज के नियमों, उप-नियमों एवं विनियमों जिसमें ग्राहक ट्रेड करने के लिए चयन करता है, तथा SEBI के नियमों एवं विनियमों के अंतर्गत जारी किए गए परिपत्रों/नोटिसों के तहत दिया गया हो सकता है।
44. इस दस्तावेज के प्रावधान हमेशा सरकारी अधिसूचनाओं, किसी भी नियम, विनियम, दिशानिर्देश तथा SEBI द्वारा जारी परिपत्र/नोटिसों, और उन स्टॉक एक्सचेंजों के नियमों, विनियमों एवं उप-नियमों के विषयाधीन होंगे जहां ट्रेड निष्पादित किया जाता है, और जो समय समय पर प्रभावी हो सकते हैं।
45. स्टॉक ब्रोकर एवं ग्राहक, मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थ(थों) द्वारा पारित किसी भी अधिनिर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। हालांकि यदि पार्टी मध्यस्थता अधिनिर्णय से संतुष्ट नहीं है तो स्टॉक एक्सचेंजों के भीतर अपील का प्रावधान भी है।
46. शब्द एवं तात्पर्य/भाव जिनका इस दस्तावेज में उपयोग किया गया है किंतु यहां परिभाषित नहीं है, जब तक संदर्भ के अन्यथा अपेक्षित न हो, नियमों, उप-नियमों एवं विनियमों तथा एक्सचेंजों/SEBI द्वारा उसके तहत जारी परिपत्रों/नोटिसों में दिए गए अर्थ के समान अर्थ वाला माना जाएगा।
47. स्टॉक ब्रोकर द्वारा जोड़े गए सभी अतिरिक्त स्वैच्छिक उपबंध/दस्तावेज, एक्सचेंजों/SEBI के नियमों/विनियमों/नोटिसों/परिपत्रों के उल्लंघन वाले नहीं होने चाहिए। ऐसे स्वैच्छिक उपबंधों/दस्तावेज(जों) में किसी भी परिवर्तन के लिए 15 दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए। एक्सचेंजों/SEBI द्वारा निर्दिष्ट अधिकारों एवं दायित्वों में किसी भी परिवर्तन के बारे में ग्राहकों को भी अवगत कराया जाएगा।
48. यदि यहां पक्षों के अधिकारों एवं दायित्वों को SEBI के नियमों एवं विनियमों या उन स्टॉक एक्सचेंजों के उप-नियमों, नियमों एवं विनियमों में बदलाव के आधार पर बदला जाता है जहां ट्रेड निष्पादित किया जाता है, तो ऐसे परिवर्तनों को इस दस्तावेज में उल्लिखित पक्षों के अधिकारों और दायित्वों के संशोधन में शामिल किया हुआ माना जाएगा।

स्टॉक ब्रोकरों द्वारा ग्राहक को प्रदान की गई इंटरनेट एवं वायरलेस तकनीक आधारित ट्रेडिंग सुविधा (‘अधिकार एवं दायित्व’ दस्तावेज(जों) में वर्णित सभी खंड/उपबंध लागू होंगे। इसके अलावा, इसके अंतर्गत उल्लिखित खंड/उपबंध भी लागू होंगे।)

1. स्टॉक ब्रोकर वायरलेस तकनीक के उपयोग के माध्यम से इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग (IBT) एवं प्रतिभूति ट्रेडिंग प्रदान करने के लिए प्रात्र है जिनमें मोबाइल फोन, डेटा कार्ड के साथ लैपटॉप, आदि उपकरणों का उपयोग शामिल होगा जिनमें इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) का उपयोग होता है। स्टॉक ब्रोकर SEBI और एक्सचेंजों द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट किए गए अनुसार वायरलेस तकनीक का उपयोग करके इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग/प्रतिभूति ट्रेडिंग के लिए लागू सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।
2. ग्राहक प्रतिभूतियों में निवेश/ट्रेडिंग करने का इच्छुक है और इस उद्देश्य के लिए ग्राहक या तो इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग सुविधा या वायरलेस तकनीक के उपयोग के माध्यम से प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए इच्छुक है। स्टॉक ब्रोकर ग्राहक को स्टॉक ब्रोकर की IBT सेवा प्रदान करेगा और ग्राहक स्टॉक ब्रोकर की IBT सेवा का लाभ उठाएगा जो SEBI/एक्सचेंजों के प्रावधानों और नियमों तथा स्टॉक ब्रोकर की IBT वेबसाइट पर निर्दिष्ट शर्तों के विषयाधीन है बशर्ते कि वे एक्सचेंजों/SEBI द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार हों।
3. स्टॉक ब्रोकर वायरलेस तकनीक/इंटरनेट/स्मार्ट आर्डर रूटिंग या किसी भी अन्य तकनीक के माध्यम से प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग से जुड़ी सुविधाओं, जोखिमों, जिम्मेदारियों, दायित्वों एवं देनदारियों के बारे में ग्राहक को अवगत कराएगा।
4. स्टॉक ब्रोकर ग्राहक को इसके बारे में अवगत कराएगा कि स्टॉक ब्रोकर का IBT सिस्टम प्रारंभिक पासवर्ड जनरेट करता है और इसकी पासवर्ड नीति एक्सचेंजों/SEBI द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार है।
5. ग्राहक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड को गोपनीय एवं सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार होगा और ऐसे व्यक्ति द्वारा स्थापित किए गए सभी आदेशों एवं लेनदेन के प्रति पूर्णरूपेण जिम्मेदार होगा जिसने ग्राहक के उपयोगकर्ता नाम और/या पासवर्ड का उपयोग करते हुए स्टॉक ब्रोकर के IBT सिस्टम के माध्यम से इन्हें संपन्न किया हो, चाहे वह व्यक्ति ऐसा करने के लिए अधिकृत हो या न हो। इसके अलावा ग्राहक यह भी जानता है कि आदेश रूटेड (अनुमार्गण) सिस्टम के माध्यम से वायरलेस तकनीक द्वारा इंटरनेट ट्रेडिंग/प्रतिभूति ट्रेडिंग के लिए प्रमाणीकरण तकनीकों एवं सखत सुरक्षा मानदंडों की आवश्यकता होती है और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाता है कि ग्राहक और या उसके अधिकृत प्रतिनिधि का पासवर्ड स्टॉक ब्रोकर के कर्मचारियों एवं डीलरों सहित किसी भी तृतीय पक्ष को पता नहीं चलता है।
6. ग्राहक इस बारे में तत्काल स्टॉक ब्रोकर को लिखित में सूचित करेगा यदि वह अपना पासवर्ड भूल जाता है, उसे स्टॉक ब्रोकर के IBT सिस्टम में सुरक्षा खामी का पता चलता है, ऐसे अनधिकृत उपयोग, तिथि, तरीके और ऐसे अनधिकृत उपयोग से प्रभावित लेने देनों आदि की पूरी जानकारी के साथ अपने उपयोगकर्ता नाम/पावर्ड/खाते के माध्यम से विसंगतियों/अनधिकृत उपयोग का संदेह होता है/पता चलता है।
7. ग्राहक वायरलेस तकनीक के माध्यम से इंटरनेट/प्रतिभूति ट्रेडिंग से आर्डर रूट करने के लिए सेवा का लाभ उठाने के साथ जुड़े जोखिमों के बारे में पूर्णतया अवगत है और समझता है तथा ग्राहक किसी भी प्रकार से ग्राहक के उपयोगकर्ता नाम/पासवर्ड में किए गए सभी कृत्यों के लिए पूर्णतया उत्तरदायी एवं जिम्मेदार होगा।
8. स्टॉक ब्रोकर ग्राहक को उसके अनुरोध पर ईमेल के माध्यम से ऑर्डर/ट्रेड पुष्टिकरण भेजेगा। ग्राहक जानता है कि ऑर्डर/ट्रेड पुष्टिकरण वेब पोर्टल पर भी उपलब्ध कराया जाता है। यदि ग्राहक वायरलेस तकनीक का उपयोग करके ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक ब्रोकर ग्राहक के उपकरण पर ऑर्डर/ट्रेड पुष्टिकरण भेजेगा।
9. ग्राहक जानता है कि इंटरनेट पर ट्रेडिंग में कई अनिश्चित कारक शामिल होते हैं तथा जटिल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रणालियां, संचार लाइनें, बाह्य उपकरण आदि रुकावटों एवं अव्यवस्थाओं के प्रति अतिसंवेदनशील होते हैं। स्टॉक ब्रोकर एवं एक्सचेंज इस बात का कोई निरूपण नहीं करते या गारंटी नहीं देते कि IBT सेवा बिना किसी रुकावट के हर समय ग्राहक के लिए उपलब्ध होगी।
10. ग्राहक, स्टॉक ब्रोकर के IBT सिस्टम या सेवा या एक्सचेंज की सेवा या प्रणालियों के किसी भी निलंबन, रुकावट, अनुपलब्धता या स्टॉक ब्रोकर/एक्सचेंजों के नियंत्रण से परे किसी भी कारण से ग्राहक/स्टॉक ब्रोकर/एक्सचेंज पर किसी भी लिंक/प्रणाली की विफलता के कारण अपने आदेशों के निष्पादन न होने पर, एक्सचेंज या स्टॉक ब्रोकर के खिलाफ कोई दावा नहीं करेगा।

अनुलग्नक-5

पूंजी बाजार एवं डेरिवेटिव सेगमेंट (संवर्ग) के लिए जोखिम प्रकटीकरण दस्तावेज

इस दस्तावेज में स्टॉक एक्सचेंजों के इक्विटी/डेरिवेटिव सेगमेंटों में ट्रेडिंग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। सभी संभावित घटकों/ग्राहकों को एक्सचेंजों में इक्विटी/डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेडिंग करने से पहले इस दस्तावेज का अध्ययन करना चाहिए।

स्टॉक एक्सचेंज/SEBI न तो अकेले और न ही संयुक्त रूप से तथा न तो स्पष्ट रूप से और न ही अंतर्निहित रूप में, इस प्रकटीकरण दस्तावेज की पूर्णता, पर्याप्तता या सटीकता की गारंटी देता है और न ही स्टॉक एक्सचेंज/SEBI ट्रेडिंग सेगमेंटों में भाग लेने के किसी भी गुण का अनुमोदन करते हैं या पारित करते हैं। यह संक्षिप्त विवरण ट्रेडिंग के सभी जोखिमों एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रकटीकरण नहीं करता है।

निहित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, आपको केवल तभी लेनदेन करना चाहिए जब आप उस संबंध की प्रकृति और अपने जोखिम की हद को समझते हैं जिसमें आप प्रवेश कर रहे हैं।

आपको जानना चाहिए और पहचानना चाहिए कि इक्विटी शेयरों, डेरिवेटिव कांट्रैक्ट या स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाने वाले अन्य विलेखों (इंस्ट्रुमेंट्स) में ट्रेडिंग, जिनमें विभिन्न मात्राओं में जोखिम शामिल होते हैं, आम तौर पर सीमित संसाधनों/सीमित निवेश और/या ट्रेडिंग अनुभव और कम जोखिम सहनशीलता वाले किसी व्यक्ति के लिए उपयुक्त स्थल नहीं है। इसलिए आपको अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए कि ऐसी ट्रेडिंग आपके लिए उपयुक्त है या नहीं। यदि आप शेयर बाजारों में ट्रेड करते हैं और प्रतिकूल परिणाम या नुकसान उठाते हैं, तो आप उस के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे और स्टॉक एक्सचेंज/इसका समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन) और/SEBI, किसी भी तरीके से इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे और आपके पास यह दलील देने का विकल्प नहीं होगा कि आपको शामिल जोखिम के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई थी या यह कि आपको संबंधित स्टॉक ब्रोकर द्वारा निहित पूर्ण जोखिम के बारे में नहीं बताया गया था। घटक/ग्राहक परिणामों के लिए पूर्णतया जिम्मेदार होंगे और उस आधार पर किसी भी कांट्रैक्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है। आपको अभिज्ञापित और स्वीकृति देनी चाहिए कि स्टॉक एक्सचेंजों पर ट्रेड किए जाने वाले किसी डेरिवेटिव कांट्रैक्ट की खरीद और/या बिक्री के आदेश निष्पादित करते समय लाभों की कोई गारंटी नहीं हो सकती है और/या हानियों का कोई अपवाद नहीं हो सकता है।

आपको यह स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि एक स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों पर आपकी डीलिंग (लेनदेन), स्टॉक ब्रोकर द्वारा निर्धारित कुछ औपचारिकताओं को पूर्ण करने के विषयाधीन होगी जिसमें अन्य चीजों के साथ साथ अपने ग्राहक को जानें फार्म को भरना, अधिकारों एवं दायित्वों का पढ़ना, क्या करें और क्या न करें, आदि शामिल हो सकते हैं, और संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों, इनके समाशोधन निगमों के नियमों, उप-नियमों एवं विनियमों, और SEBI द्वारा निर्धारित समय समय पर जारी दिशानिर्देशों एवं स्टॉक एक्सचेंजों या इनके समाशोधन निगम द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों के विषयाधीन हैं।

स्टॉक एक्सचेंज कोई भी सलाह प्रदान नहीं करते हैं या सलाह देने की इच्छा नहीं रखते हैं और किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जवाबदेह नहीं होंगे जो स्टॉक एक्सचेंजों के स्टॉक ब्रोकर और/या इस दस्तावेज में शामिल किसी भी जानकारी के आधार पर किसी भी तृतीय पक्ष के साथ किसी भी व्यावसायिक संबंध स्थापित करता है। इस दस्तावेज में शामिल किसी भी जानकारी को व्यावसायिक सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इस तरह की ट्रेडिंग में शामिल जोखिमों को बिना पूर्ण-रूपेण समझे और बिना समीक्षा किए, ट्रेड करने के लिए कोई भी विचार नहीं बनाया जाना चाहिए। यदि आप निश्चित नहीं हैं, तो आपको उस बारे में पेशेवर सलाह लेनी चाहिए।

यह विचार करने के लिए कि ट्रेड किया जाए या नहीं या किसी को अपनी ओर से ट्रेड करने के लिए अधिकृत किया जाए या नहीं, आपको निम्नलिखित के बारे में जानकारी होनी चाहिए या इनसे परिचित होना चाहिए:-

1. मूलभूत जोखिम:

1.1 उच्च अस्थिरता का जोखिम:

अस्थिरता का तात्पर्य उस कीमत में गतिशील परिवर्तन से है जिस पर एक प्रतिभूति/डेरिवेटिव कांट्रैक्ट किया जाता है जब ट्रेडिंग गतिविधियां स्टॉक एक्सचेंजों में जारी रहती हैं। सामान्यतः एक प्रतिभूति/डेरिवेटिव कांट्रैक्ट की अस्थिरता जितनी उच्च होती है उसके मूल्य में परिवर्तन भी उतना ही अधिक होता है। सक्रिय प्रतिभूतियों/डेरिवेटिव कांट्रैक्ट्स की तुलना में कम ट्रेड की जाने वाली प्रतिभूतियों/डेरिवेटिव कांट्रैक्ट्स में सामान्यतः अधिक अस्थिरता हो सकती है। अस्थिरता के परिणाम के रूप में, आपके आदेश केवल आंशिक रूप से निष्पादित किए जा सकते हैं या बिल्कुल भी निष्पादित नहीं किए जा सकते हैं, या वह कीमत जिस पर आपके आदेश निष्पादित किए जाते हैं, अंतिम ट्रेडेड कीमत से थोड़ी भिन्न हो सकती है या लगातार बदल सकती है जिसके परिणामस्वरूप कल्पित या वास्तविक नुकसान हो सकता है।

1.2 निम्नतर तरलता (लोअर लिक्विडिटी) का जोखिम:

तरलता एक प्रतिस्पर्धी कीमत पर और न्यूनतम कीमत अंतर के साथ तेजी से प्रतिभूतियों/डेरिवेटिव कांट्रैक्ट्स की खरीद और/या बिक्री के लिए बाजार सहभागियों की क्षमता को दर्शाती है। सामान्यतः यह माना जाता है कि एक बाजार में उपलब्ध आदेशों की संख्या जितनी अधिक होती है, तरलता उतनी ही अधिक होती है। तरलता महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिक तरलता के साथ, निवेशकों के लिए तेजी से और न्यूनतम कीमत अंतर के साथ प्रतिभूतियों/डेरिवेटिव कांट्रैक्ट्स को खरीदना और/या बेचना आसान हो जाता है, और परिणामस्वरूप, निवेशकों द्वारा खरीदी या बेची गई प्रतिभूतियों/डेरिवेटिव के लिए एक प्रतिस्पर्धी कीमत का भुगतान किए जाने या प्राप्त होने की संभावना होती है। सक्रिय प्रतिभूतियों/डेरिवेटिव कांट्रैक्ट्स की तुलना में कुछ प्रतिभूतियों में कम तरलता का खतरा हो सकता है। परिणामस्वरूप, आपका आदेश केवल आंशिक रूप से निष्पादित किया जा सकता है, या अपेक्षाकृत अधिक कीमत अंतर के साथ निष्पादित किया जा सकता है या बिल्कुल भी निष्पादित नहीं किया जा सकता है।

1.2.1 डे-ट्रेडिंग रणनीति के एक भाग के रूप में प्रतिभूतियों/डेरिवेटिव कांट्रैक्ट्स की खरीद या बिक्री के परिणामस्वरूप भी नुकसान हो सकता है, ऐसी स्थिति में, प्रतिभूतियों/डेरिवेटिव कांट्रैक्ट्स को अपेक्षित कीमत स्तरों की तुलना में, कम/उच्च कीमतों पर खरीदा/बेचा जा सकता है, इसलिए एक प्रतिभूति/डेरिवेटिव कांट्रैक्ट डिलीवर करने या प्राप्त करने के लिए कोई भी खुली स्थिति या दायित्व न रखें।

1.3 व्यापक स्प्रेड का जोखिम:

स्प्रेड सर्वोत्तम खरीदी कीमत और सर्वोत्तम बिक्री कीमत के बीच के अंतर को दर्शाता है। यह एक प्रतिभूति/डेरिवेटिव कांट्रैक्ट खरीदने और इसके तुरंत बाद बेचने या विपरीत रूप से कीमतों के बीच अंतर को प्रदर्शित करता है। निम्नतर तरलता एवं उच्च अस्थिरता के परिणामस्वरूप कम तरल या गैर-तरल प्रतिभूतियों/डेरिवेटिव कांट्रैक्ट्स के लिए सामान्य से अधिक स्प्रेड हो सकता है। यह बदले में बेहतर कीमत की स्थापना में बाधा उत्पन्न करेगा।

1.4 जोखिम को कम करने वाले आदेश:

उन आदेशों (जैसे "स्टॉप लॉस" आदेश, या "लिमिट" आदेश) को रखना जो हानियों को कुछ राशि तक सीमित करने का इरादा रखते हैं, कई बार प्रभावी नहीं हो सकते हैं क्योंकि बाजार की स्थितियों में तेज उतार-चढ़ाव के कारण ऐसे आदेशों को निष्पादित करना संभव नहीं हो सकता है।

1.4.1 एक "बाजार" आदेश की कीमत पर ध्यान दिए बिना विपरीत ओर से आदेशों की उपलब्धता के विषयाधीन तुरंत निष्पादित किया जाएगा और यह कि, जबकि ग्राहक को एक "बाजार" आदेश का त्वरित निष्पादन प्राप्त हो सकता है, निष्पादन बकाया आदेशों की उपलब्ध कीमतों पर हो सकता है जो कीमत समय प्राथमिकता पर आदेश मात्रा को संतुष्ट करते हैं। यह समझा जा सकता है कि ये कीमतें उस प्रतिभूति/डेरिवेटिव कांट्रैक्ट में अंतिम ट्रेड किए गए मूल्य या सर्वोत्तम कीमत से काफी भिन्न हो सकती हैं।

1.4.2 एक "लिमिट" आदेश को केवल आदेश के लिए निर्दिष्ट "लिमिट" कीमत या एक बेहतर कीमत पर निष्पादित किया जाएगा। हालांकि, ग्राहक को मूल्य संरक्षण प्राप्त होता है तथापि यह संभावना है कि आदेश को बिल्कुल भी निष्पादित नहीं किया जा सकता है।

1.4.3 एक स्टॉप लॉस आदेश को सामान्यतः एक स्टॉक/डेरिवेटिव कांट्रैक्ट की वर्तमान कीमत से "अलग" स्थापित किया जाता है, और ऐसे आदेश केवल तभी सक्रिय होते हैं जब प्रतिभूति/डेरिवेटिव कांट्रैक्ट स्टॉप कीमत पर पहुंचता है या उसके माध्यम से ट्रेड करता है। बिक्री स्टॉप आदेश साधारणतया वर्तमान कीमत से नीचे प्रविष्ट किए जाते हैं, और खरीद स्टॉप आदेश साधारणतया वर्तमान कीमत से ऊपर प्रविष्ट किए जाते हैं। जब प्रतिभूति/डेरिवेटिव कांट्रैक्ट पूर्व निर्धारित कीमत तक पहुंच जाता है, या इस तरह के मूल्य से होकर ट्रेड करता है तो स्टॉप लॉस आदेश एक बाजार/लिमिट आदेश में बदल जाता है और लिमिट पर या बेहतर स्थिति में निष्पादित किया जाता है। इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि लिमिट आदेश निष्पादन योग्य हो जाएगा, चूंकि एक प्रतिभूति/डेरिवेटिव कांट्रैक्ट पूर्व निर्धारित कीमत पर कार्य कर सकती है, ऐसी स्थिति में ऐसे आदेश के निष्पादित न होने का जोखिम सिर्फ एक नियमित लिमिट आदेश के रूप में उत्पन्न होता है।

1.5 समाचार उद्घोषणाओं का जोखिम:

वे समाचार घोषणाएं जो ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक/डेरिवेटिव कांट्रैक्ट के मूल्य को प्रभावित कर सकती हैं, और कम तरलता एवं उच्च अस्थिरता के साथ संयोजित किए जाने पर, अचानक प्रतिभूति/कांट्रैक्ट की कीमत में एक अप्रत्याशित धनात्मक या ऋणात्मक हलचल का कारण बन सकते हैं।

1.6 अफवाहों का जोखिम:

कई बार कंपनियों/मुद्राओं के बारे में शब्दों, समाचार पत्रों, वेबसाइटों या समाचार एजेंसियों आदि के माध्यम से बाजार में अफवाहें फैलने लगती हैं। निवेशकों को इससे सावधान रहना चाहिए और अफवाहों के आधार पर कार्य करने से बचना चाहिए।

1.7 प्रणालीगत जोखिम:

उच्च मात्रा ट्रेडिंग अक्सर बाजार खुलते समय और बाजार बंद होने से पहले घटित होगी। इस तरह की उच्च मात्रा दिन में किसी भी समय पर हो सकती है। इसके फलस्वरूप आदेश निष्पादन या पुष्टिकरण करने में देरी हो सकती है।

1.7.1 अस्थिरता की अवधि के दौरान, लगातार अपने आदेश की मात्रा या कीमतों को संशोधित करने या नया आदेश स्थापित करने वाले बाजार भागीदारों की वजह से, आदेश निष्पादन एवं इसके पुष्टिकरण में देरी हो सकती है।

1.7.2 कुछ निश्चित बाजार परिस्थितियों में, एक उचित कीमत पर या समग्रतः बाजार में एक स्थिति को समाप्त करना तब मुश्किल या असंभव हो सकता है जब खरीद पक्ष या बिक्री पक्ष का कोई भी आदेश बकाया न हो, या यदि असामान्य ट्रेडिंग गतिविधि या प्रतिभूति/डेरिवेटिव कांट्रैक्ट के सर्किट फिल्टर को पार करने पर या किसी अन्य कारण की वजह से एक प्रतिभूति/डेरिवेटिव कांट्रैक्ट में ट्रेडिंग को रोक दिया गया हो।

1.8 प्रणाली/नेटवर्क कंजेशन:

आदेशों को स्थापित करने और अनुमार्गित करने के लिए सेटलाइट/लीज्ड लाइन आधारित संचार, तकनीकों और कंप्यूटर प्रणालियों के संयोजन पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक मोड में एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग होती है। इस प्रकार, वहां संचार विफलता या प्रणालीगत समस्याएं या प्रणाली से धीमी या देरी से प्रतिक्रिया या ट्रेडिंग को रोकने या ऐसी कोई अन्य समस्या/गड़बड़ मौजूद हो सकती है, जहां ट्रेडिंग प्रणाली/नेटवर्क के लिए पहुंच स्थापित करना संभव नहीं था, जो नियंत्रण से बाहर हो सकता है और जिसके परिणामस्वरूप आंशिक या पूर्ण रूप से खरीद या बिक्री आदेशों को संसाधित करने या न करने में देरी हो सकती है। आपको यह ध्यान देने के लिए आगाह किया जाता है कि यद्यपि ये समस्याएं स्वभावतः अस्थायी हो सकती हैं लेकिन जब आपके पास खुली स्थिति या गैर-निष्पादित आदेश शेष हों तो ये सभी निष्पादित लेनदेनों का निपटान करने के लिए आपके दायित्वों के कारण जोखिम का वहन करते हैं।

2. जहां तक डेरिवेटिव सेगमेंटों का संबंध है, कृपया निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाओं पर ध्यान दें और इनसे स्वयं को परिचित कराएं:-

2.1 "लीवरेज" या "गियरिंग" का प्रभाव:

डेरिवेटिव बाजार में, मार्जिन की राशि डेरिवेटिव कांट्रैक्ट की राशि का एक छोटा अनुपात होता है, अतः लेनदेन 'लीवरेज्ड' या 'गियर्ड' हो जाते हैं। डेरिवेटिव ट्रेडिंग जिसे मार्जिन की एक अपेक्षाकृत छोटी राशि के साथ किया जाता है, मार्जिन राशि की तुलना में अधिक लाभ या हानि की संभावना प्रदान करती है। लेकिन डेरिवेटिव में लेनदेन में उच्च स्तर का जोखिम शामिल होता है।

इसलिए आपको वास्तव में डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करने से पहले निम्न विवरणों को पूर्णतया समझना चाहिए और साथ ही व्यक्ति की परिस्थितियों, वित्तीय संसाधनों आदि को ध्यान में रखकर सावधानी के साथ ट्रेड करना चाहिए। यदि कीमतें आपके विपरीत चली जाती हैं तो आपको अपेक्षाकृत कम समय में अंशतः या पूरी मार्जिन राशि का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा, हानि मूल मार्जिन राशि से अधिक हो सकती है।

क) फ्यूचर्स ट्रेडिंग में सभी स्थितियों का दैनिक निपटान शामिल होता है। हर दिन खुली स्थितियों को सूचकांक/डेरिवेटिव कांट्रैक्ट के समापन स्तर के आधार पर बाजार के लिए चिन्हित किया जाता है। यदि कांट्रैक्ट आपके खिलाफ जाता है तो आपके लिए इस तरह के उतार चढ़ावों के फलस्वरूप होने वाले नुकसान की (अनुमानित) राशि जमा करना आवश्यक होगा। इस राशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर करना होगा, सामान्यतः अगले दिन ट्रेडिंग प्रारंभ होने से ठीक पहले।

ख) यदि आप समय सीमा के अंदर अतिरिक्त राशि जमा करने में विफल होते हैं या यदि आपके खाते में बकाया ऋण होता है तो स्टॉक ब्रोकर पूरी स्थिति या उसके एक हिस्से या स्थानापन्न प्रतिभूतियों को समाप्त कर सकते हैं। इस मामले में, आप इस तरह की समाप्ति के फलस्वरूप होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी होंगे।

ग) निश्चित बाजार परिस्थितियों के अंतर्गत एक निवेशक के लिए ऐसे लेनदेन निष्पादित करना मुश्किल या असंभव हो सकता है। उदाहरण के लिए, यह स्थिति गैर-तरलता जैसे कारकों के कारण हो सकती है यानी जब वहां अपर्याप्त बोलियां या प्रस्ताव होते हैं या कीमत सीमा या सर्किट ब्रेकर आदि के कारण ट्रेडिंग का स्थगन किया गया हो सकता है।

घ) बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए, निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं: मार्जिन दर में परिवर्तन, नकदी मार्जिन दर या अन्य में परिवर्तन। ये नए मानदंड मौजूदा अस्थिर ब्याज-राशि पर भी लागू किए जा सकते हैं। ऐसी स्थितियों में, आपको अतिरिक्त मार्जिन डालने या अपनी स्थितियों को कम करने की आवश्यकता होगी।

ङ) आपको अपने ब्रोकर से उन डेरिवेटिव कांट्रैक्ट्स की पूरी जानकारी यानी अनुबंध विनिर्देशों एवं उससे जुड़े दायित्वों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने की मांग करनी चाहिए जिन पर आपने ट्रेड करने की योजना बनाई है।

2.2 मुद्रा विशिष्ट जोखिम:

1. विदेशी मुद्रा-मूल्यवर्ग कांट्रैक्ट्स में लेनदेन में लाभ या हानि, चाहे उन्हें आपके या किसी अन्य के न्यायिक क्षेत्र में ट्रेड किया जाता है, मुद्रा दरों में उतार-चढ़ावों से प्रभावित होगा, जहां कांट्रैक्ट के मुद्रा मूल्यवर्ग को दूसरी मुद्रा में बदलने की आवश्यकता होती है।

2. कुछ निश्चित बाजार परिस्थितियों में, आपके लिए एक स्थिति को समाप्त करना मुश्किल या असंभव हो सकता है। यह तब हो सकता है, उदाहरण के लिए, जब एक मुद्रा अविनियमित होती है या तय ट्रेडिंग बैंडों को विस्तारित किया जाता है।

3. मुद्रा कीमतें अत्यधिक अस्थिर होती हैं। मुद्राओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव अन्य चीजों के अलावा निम्नलिखित से प्रभावित होते हैं: आपूर्ति-मांग संबंधों को बदलना; ट्रेड, वित्तीय मौद्रिक, विनिमय नियंत्रण कार्यक्रम एवं सरकारों की नीतियां; विदेशी राजनीतिक एवं आर्थिक घटनाएं एवं नीतियां; राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय ब्याज दरों और मुद्रास्फीति में परिवर्तन; मुद्रा अवमूल्यन; और बाजार स्थान की भावना। इन कारकों में से किसी को भी व्यक्तिगत सलाहकार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है और इसके बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है कि एक सलाहकार की सलाह के परिणामस्वरूप एक भागीदार ग्राहक को ट्रेड में लाभ होगा या एक ग्राहक को इस तरह की घटनाओं से नुकसान नहीं उठाना होगा।

2.3 विकल्प धारकों का जोखिम:

1. एक विकल्प धारक के लिए अपेक्षाकृत कम समय में विकल्प के लिए भुगतान की गई संपूर्ण राशि को खोने का खतरा होता है। यह जोखिम एक विकल्प की प्रकृति को एक क्षीयमाण परिसंपत्ति के रूप में प्रदर्शित करता है जो वैधता समाप्त होने के बाद अनुपयोगी हो जाती। एक विकल्प धारक जो न तो द्वितीय बाजार में अपना विकल्प बेचता है और न ही इसकी समाप्ति से पूर्व इसका प्रयोग करता है, विकल्प में अपना पूरा निवेश खो देगा। यदि विचाराधीन (अंडरलाइंग) की कीमत में विकल्प की समय सीमा समाप्त होने से पहले प्रत्याशित दिशा में परिवर्तन नहीं होते हैं तो विकल्प की लागत को आवरित करने के लिए पर्याप्त हद तक निवेशक को विकल्प में उसके निवेश के एक महत्वपूर्ण भाग या पूरे निवेश का नुकसान हो सकता है।

2. एक्सचेंज प्रयोग प्रतिबंध लगा सकते हैं और उनके पास निर्दिष्ट परिस्थितियों में निश्चित समयों पर विकल्पों के प्रयोग को प्रतिबंधित करने का पूर्ण अधिकार होता है।

2.4 विकल्प लेखकों (ऑप्शन राइटर्स) का जोखिम:

1. यदि विचाराधीन (अंडरलाइंग) की कीमत में उतार-चढ़ाव प्रत्याशित दिशा में नहीं होता है तो विकल्प लेखकों पर पर्याप्त राशि के नुकसान का जोखिम होता है।

2. एक विकल्प लेखक होने का जोखिम उसी विचाराधीन हित पर अन्य विकल्पों को खरीदने और इस तरह एक स्प्रेड स्थिति बनाने या विकल्प बाजारों या अन्य बाजारों में हेजिंग स्थितियों के अन्य प्रकारों द्वारा कम किया जा सकता है। हालांकि लेखक द्वारा एक स्प्रेड या अन्य हेजिंग स्थिति बना लेने के बावजूद भी जोखिम महत्वपूर्ण हो सकता है। एक स्प्रेड स्थिति आवश्यक रूप से एक साधारण 'दीर्घ (लांग)' या 'लघु (शार्ट)' स्थिति की तुलना में कम जोखिमयुक्त नहीं होती है।

3. वे लेनदेन जिनमें उस संयोजन में कई विकल्प खरीदना एवं लेखन, या विचाराधीन हितों को खरीदने या शार्ट सेलिंग के संयोजन में विकल्पों को खरीदना या लेखन शामिल होता है, निवेशकों के लिए अतिरिक्त जोखिम उत्पन्न करते हैं। संयुक्त लेनदेन जैसे विकल्प स्प्रेड, एक विकल्प को खरीदने या लेखन की तुलना में अधिक जटिल होते हैं। और इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि निवेश के किसी भी क्षेत्र में, एक जटिलता जिसे अच्छी तरह से समझा न गया हो, अपने आप में एक जोखिम कारक है। हालांकि यह सुझाव नहीं दिया जाता है कि संयोजन रणनीतियों पर विचार नहीं किया जाता है, जैसा विकल्पों में सभी निवेशों के मामले में होता है, किसी ऐसे व्यक्ति से परामर्श करने की सलाह दी जाती है जो विभिन्न बाजार परिस्थितियों के तहत संयोजन लेनदेनों के जोखिमों और संभावित रिवाइड के संबंध में अनुभवी एवं जानकार है।

3. वायरलेस तकनीक/स्मार्ट आर्डर रूटिंग या किसी अन्य तकनीक के माध्यम से ट्रेडिंग:

वायरलेस तकनीक/स्मार्ट आर्डर रूटिंग या किसी भी अन्य तकनीक के माध्यम से प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग से जुड़ी सुविधाओं, जोखिमों, जिम्मेदारियों, दायित्वों और देनदारियों को परिभाषित करने के लिए किसी भी अतिरिक्त प्रावधान को स्टॉक ब्रोकर द्वारा ग्राहक के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

4. सामान्य

4.1 शब्द 'घटक/ग्राहक' का तात्पर्य है और इसमें शामिल है: एक क्लाइंट, एक ग्राहक या एक निवेशक जो एक्सचेंजों द्वारा प्रदान किए गए मैकेनिज्म के माध्यम से प्रतिभूति/डेरिवेटिव कांट्रैक्ट प्राप्त करने और/या बेचने के उद्देश्य के लिए एक स्टॉक ब्रोकर के साथ सौदा करते हैं।

4.2 शब्द 'स्टॉक ब्रोकर' का तात्पर्य है और इसमें शामिल है: एक स्टॉक ब्रोकर, एक ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर जिसे एक्सचेंजों द्वारा यथावत स्वीकार किया गया है और जिन्होंने SEBI से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।

अनुलग्नक-6

मार्गदर्शन नोट- निवेशकों के लिए एक्सचेंज (एक्सचेंजों) पर ट्रेडिंग करने के लिए योग्य और नहीं करने योग्य बातें

आपके द्वारा ट्रेडिंग शुरू करने से पहले

1. सुनिश्चित करें कि आप केवल SEBI में पंजीकृत बिचौलियों के साथ और उनके माध्यम से सौदे करते हैं। आप स्टॉक एक्सचेंज www.exchange.com और SEBI की वेबसाइट www.sebi.gov.in पर उपलब्ध सूची से उनके SEBI पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या की जाँच कर सकते हैं।
2. सुनिश्चित करें कि आपने KYC फॉर्म को पूरी तरह भरा है और KYC फॉर्म में खाली स्थानों को काट दिया है।
3. सुनिश्चित करें कि आपने सभी अनिवार्य दस्तावेजों अर्थात् स्टॉक ब्रोकर के अधिकार एवं दायित्व, जोखिम प्रकटीकरण दस्तावेज़, नीति एवं प्रक्रिया दस्तावेज को पढ़ लिया है।
4. सुनिश्चित करें कि आपने अपने और स्टॉक ब्रोकर के बीच सहमत स्वैच्छिक खंडों/उपबंधों, यदि कोई हो, को पढ़, समझ लिया है एवं उसके बाद हस्ताक्षर कर दिए हैं। ध्यान दें कि आपके और स्टॉक ब्रोकर के बीच हुई सहमति के अनुसार खंडों/उपबंधों को आपकी सहमति के बिना बदला नहीं जा सकता है।
5. ट्रेडिंग के लिए आप पर ब्रोकर द्वारा लगाए गए सभी ब्रोकरेज, कमीशन, शुल्क एवं अन्य प्रभारों और SEBI/स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा निर्दिष्ट प्रासंगिक प्रावधानों/दिशानिर्देशों के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त करें।
6. स्टॉक ब्रोकर से आप द्वारा निष्पादित सभी दस्तावेजों की एक प्रति निःशुल्क प्राप्त करें।
7. यदि आप अपने बैंक और डीमैट खाते को संचालित करने के लिए, स्टॉक ब्रोकर को अधिकृत करते हुए उसके पक्ष में पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी/मुखतारनामा (POA) निष्पादित करने की इच्छा रखते हैं तो कृपया इस संबंध में SEBI/एक्सचेंजों द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश देखें।

लेनदेन एवं निपटान

8. स्टॉक ब्रोकर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रैक्ट नोट (ECN) जारी कर सकता है यदि विशेष रूप से लिखित में आपके द्वारा अधिकृत किया गया हो। इसके लिए आपको स्टॉक ब्रोकर को अपनी ईमेल आईडी बतानी होगी। यदि आप कंप्यूटर की जानकारी नहीं रखते हैं तो ECN का चयन करें।
9. किसी को भी अपने इंटरनेट ट्रेडिंग खाते का पासवर्ड न बताएं।
10. स्टॉक ब्रोकर को कोई नकद भुगतान न करें।
11. स्टॉक ब्रोकर के पक्ष में आदाता खाता (अकाउंट पेयी) चेक द्वारा भुगतान करें। सब-ब्रोकर के नामे चेक जारी न करें। सुनिश्चित करें कि आपके पास तिथि, स्क्रिप, मात्रा, किस बैंक/डीमैट खाते में या किस बैंक/डीमैट खाते से इस धन या प्रतिभूतियों को जमा किया जाता है, का उल्लेख करते हुए स्टॉक ब्रोकर के साथ आपके भुगतान/प्रतिभूतियों के जमा का दस्तावेजीकृत साक्ष्य हो।
12. ध्यान दें कि ट्रेड सत्यापन की सुविधा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों पर उपलब्ध है, जहाँ कंट्रैक्ट नोट में उल्लिखित ट्रेड के विवरणों को सत्यापित किया जा सकता है। जहां वेबसाइट पर दिए गए ट्रेड विवरण कंट्रैक्ट नोट में उल्लिखित विवरणों के साथ मेल नहीं खाते हैं तो तुरंत संबंधित स्टॉक एक्सचेंज के निवेशक शिकायत प्रकोष्ठ से सम्पर्क करें।
13. यदि आपने खाते का संचालन करने, धन का भुगतान करने या प्रतिभूतियों की डिलीवरी करने (मामले के अनुसार) के लिए विशेष अधिकार दिए हैं, तो आपको एक्सचेंज से भुगतान की रसीद प्राप्त होने से एक कार्यदिवस के भीतर उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। इस प्रकार, स्टॉक ब्रोकर आपके लिए निम्नलिखित स्थितियों के विषयाधीन खाते का संचालन करेगा:
 - क) आपके द्वारा दिया गया ऐसा प्राधिकार, केवल आपके द्वारा हस्ताक्षरित होगा और इसमें वह खंड/उपबंध शामिल होगा जिसे आप किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
 - ख) निधियों एवं प्रतिभूतियों का वास्तविक निपटान, आपकी प्राथमिकता के आधार पर, एक कैलेंडर तिमाही या माह में कम से कम एक बार स्टॉक ब्रोकर द्वारा किया जाएगा। खाते का निपटान करते समय, स्टॉक ब्रोकर आपको निधियों के ग्राहक लेजर

से सारांश एवं निधियों एवं प्रतिभूतियों की सभी प्राप्तियों/डिलीवरी को प्रदर्शित करने वाले प्रतिभूतियों के रजिस्टर से सारांश को शामिल करते हुए 'खाता विवरण' भेजेगा। इस विवरण में निधियों और प्रतिभूतियों के अवधारण एवं गिरवी रखे गये शेयरों के विवरणों का उल्लेख होगा।

ग) निपटान की तिथि पर, स्टॉक ब्रोकर बकाया देनदारियों की दिशा में अपेक्षित प्रतिभूतियों/निधियों को बनाए रख सकता है और एक्सचेंजों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से गणना करते हुए अगले 5 ट्रेडिंग दिनों के लिए डेरिवेटिव मार्जिन देनदारियों को पूरा करने के लिए आवश्यक निधियाँ भी रख सकता है। नकदी बाजार में लेनदेन के संबंध में, स्टॉक ब्रोकर निपटान की तिथि पर और अगले दिन के कारोबार के लिए ग्राहकों के पास शेष धन एवं प्रतिभूतियों की देनदारियों का पूर्ण भुगतान रख सकता है, वह नकदी बाजार में इस तरह के निपटान के दिन किए गए लेनदेनों के मूल्य की सीमा तक निधियाँ/प्रतिभूतियाँ मार्जिन बनाए रख सकता है।

घ) मामले के अनुसार, आपको निधियों/प्रतिभूतियों या विवरण की प्राप्ति की तिथि से अधिमानतः 7 (सात) कार्य दिवसों के भीतर खाते या निपटान के विवरण से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के बारे लिखित में स्टॉक ब्रोकर के संज्ञान में लाने की आवश्यकता होती है। विवाद की स्थिति में, बिना कोई देरी किए प्रासंगिक स्टॉक एक्सचेंजों के निवेशक शिकायत प्रकोष्ठ को मामले से लिखित रूप में सूचित करें।

14. यदि आपने खाते को संचालित करने के विकल्प का चयन नहीं किया है और धन/प्रतिभूतियों का भुगतान एक्सचेंजों से भुगतान प्राप्त होने के अगले कार्य दिवस में प्राप्त नहीं हुआ है, तो मामले के बारे में स्टॉक ब्रोकर से संपर्क करें। किसी भी विवाद के मामले में, सुनिश्चित करें कि आपने संबंधित स्टॉक एक्सचेंज के निवेशक शिकायत प्रकोष्ठ में लिखित रूप में तुरंत शिकायत दर्ज की है।

15. स्टॉक एक्सचेंजों से दिन के कारोबार के अंत में, SMS या ईमेल के माध्यम से ट्रेड पुष्टिकरण चेतावनी/लेनदेनों का विवरण प्राप्त करने के लिए, कृपया स्टॉक ब्रोकर के पास अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पंजीकृत कराएं।

ट्रेडिंग सदस्यता की समाप्ति के मामले में

16. यदि एक स्टॉक ब्रोकर अपनी सदस्यता का समर्पण कर देता है, उसे सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाता है या चूककर्ता (डिफॉल्टर) घोषित कर दिया जाता है; स्टॉक एक्सचेंज निवेशकों से केवल स्टॉक एक्सचेंजों के "ट्रेडिंग सिस्टम पर निष्पादित लेनदेनों से संबंधित" दावों को आमंत्रित करते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी करता है। सुनिश्चित करें कि आपने निर्धारित अवधि के भीतर और समर्थन दस्तावेजों के साथ संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के समक्ष एक दावा दर्ज किया है।

17. स्टॉक ब्रोकर के साथ जमा धन और/या प्रतिभूतियों के अनुसार सुरक्षा के बारे में जानें, विशेष रूप से एक डिफॉल्ट (चूक) या स्टॉक ब्रोकर के दिवालिया होने की स्थिति में, और उस हद तक, जहाँ तक आप ऐसे धन और/या प्रतिभूतियों की वसूली कर सकते हैं, उस संबंधित स्टॉक एक्सचेंज के उप-नियमों एवं विनियमों द्वारा शासित हो सकता है जहाँ ट्रेड निष्पादित किया गया था और जहाँ समय-समय पर प्रभावी निवेशक संरक्षण कोष की योजना लागू होती है।

विवाद/शिकायतें

18. कृपया ध्यान दें कि मध्यस्थता की कार्यवाहियों, स्टॉक ब्रोकरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई और स्टॉक ब्रोकरों के खिलाफ निवेशकों की शिकायतों के विवरण संबंधित स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं।

19. यदि आपके मुद्दे/समस्या/शिकायत का निदान संबंधित स्टॉक ब्रोकर/सब-ब्रोकर द्वारा नहीं किया जाता है तो आप इस मामले को संबंधित स्टॉक एक्सचेंज के समक्ष ले जा सकते हैं। यदि आप अपनी शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इस मामले को आगे SEBI के समझ ले जा सकते हैं।

20. ध्यान दें कि SEBI द्वारा सभी स्टॉक ब्रोकर/सब-ब्रोकरों के लिए विशेष रूप से शिकायत दर्ज करने के उद्देश्य से शिकायत निवारण प्रभाग/अनुपालन अधिकारी की ईमेल आईडी का उल्लेख करना अनिवार्य किया गया है।